

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या- 53/2023

अदेश्वर सिंह बनाम् राज्य एवं सुरेन्द्र बेदिया

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

16/01/24

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी अदेश्वर सिंह, पिता-स्व० बैजनाथ सिंह, निवास ग्राम-चिकोर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या-04/2019-20/111/2020-21 सुरेन्द्र बेदिया बनाम अदेश्वर सिंह में दिनांक-27.04.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-चिकोर, थाना नं०-52 थाना-पतरातू के खाता नं०-16 प्लॉट सं०-286 कुल रकवा-0.13 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा-चिकोर, थाना नं०-52 थाना-पतरातू के खाता नं०-16 प्लॉट सं०-286 कुल रकवा-0.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में चेतलाल महतो कौम बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी केवाला से भूमि प्राप्ति का दावा करते हुए एवं विपक्षी खतियान रैयत होने के नाते दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि मौजा-चिकोर के खाता सं०-16 के खतियानी रैयत गिरीराज महतो पिता-सुखलाल महतो के द्वारा निबंधित केवाला सं०-2551, दिनांक-21.06.1945 से मौजा-चिकोर के खाता सं०-16 प्लॉट नं०-856 रकवा-16 डी० एवं प्लॉट नं०-286 रकवा-27 डी० कुल रकवा-43 डी० भूमि बैजनाथ सिंह एवं गोविन्द सिंह पिता-हरखु सिंह को उचित राशि लेकर बिक्री की गई। भूमि क्रय करने के पश्चात बैजनाथ सिंह वगै० के नाम से पंजी-II के पेज नं०-40/I पर जमाबंदी कायम हुई एवं जमींदारी उन्मूलन से 2020-21 तक रसीद निर्गत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि 1945 में जब भूमि क्रय की गई है उस उक्त बेदिया जाति अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में नहीं आते थे। वास्तविक में बेदिया वर्ष 1950 में अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आये। भूमि क्रय के पश्चात अपीलार्थी उक्त भूमि पर मकान बना कर रहने लगे। इसके पूर्व भी खतियानी रैयत के वंशज बालीराम बेदिया के द्वारा बैजनाथ सिंह के विरुद्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर हजारीबाग के न्यायालय में भू-वापसी वाद संख्या-445/86 दायर किया, जिसे अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा एक ही भूमि पर दोबारा भू-वापसी वाद दायर किया



गया। जो नियमसंगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-04/2019-20/111/2020-21 में दिनांक-27.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम-चिकोर के खाता नं०-16 सर्वे खतियान में चेतलाल महतो वो जीतू महतो पेशरान बन्धु वो गीरजा महतो पेशरान सुखलाल महतो वो रामधन महतो ब हिस्सा बराबर वो शाकिन देह दर्ज है। खाता नं०-16 का जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ सं०-37/1 में लहसन महतो के नाम से चल रहा है। उत्तरवादी खाता नं०-16 के खतियानी रैयत के वंशज है। विशेष जाँच दल (SIT) एवं अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में न्यायालय द्वारा ग्राम-चिकोर के खाता सं०-16 प्लॉट नं०-286 रकवा-13 डी० भूमि पर भू-वापसी की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि गैर आदिवासी रैयत प्रश्नगत भूमि से आदिवासी रैयत को भू-वापसी का आवेदन देने के 8-10 वर्षों से बेदखल कर दिया है। निम्न न्यायालय द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-4/2019-20/111/2020-21 में आदेश सम्पूर्ण तथ्यों एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(4)ए के प्रावधान के अनुसार पारित किया गया है, जो विधि एवं तथ्य के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी के आधार पर दावा करते हैं, परन्तु उत्तरवादी एवं उनके पूर्वज के द्वारा प्रश्नगत भूमि को कभी भी बिक्री नहीं किये है। अपीलार्थी के अपने आवेदन के पारा 4 में यह कहना कि 1946 में बेदिया आदिवासी नहीं थे, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(4)ए का उल्लंघन नहीं है गलत है। बेदिया जाति 1908 से पूर्व से ही आदिवासी के श्रेणी में है। इस बात उल्लेख है कि जे० डी० सिफ्टन के सर्वे रिपोर्ट 1908-1915 (हजारीबाग) के अध्याय II जनसंख्या के कंडिका 30 में हजारीबाग में पाये जाने वाले आदिवासी और अर्ध आदिवासी में बेदिया, भोगता भुईया, बिरहोर, धटवाल, करमाली कुरमी, मुण्डा, उराँव रजवार और संथाल को बताये है, इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि बेदिया 1908 से पूर्व से ही आदिवासी की श्रेणी में है। आदिवासी की भूमि 1946 में भी खरीद बिक्री के लिए उपायुक्त परमिशन लेना आवश्यक था, उपायुक्त के परमिशन के बैगर रजिस्ट्री अवैध है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-04/2019-20/111/2020-21 में दिनांक-27.04.2023 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा-चिकोर के खाता संख्या-16 प्लॉट नं०-286 रकवा-0.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में चेतलाल महतो वगै० कौम बेदिया दर्ज है। पंजी-II के पृष्ठ सं०-37/1 पर लहसन महतो पिता-चेतलाल महतो के नाम से दर्ज है।

43

विवादित भूमि पर अपीलार्थी का मकान एवं बारी है। बेदखली की अवधि 8-10 वर्ष है। उन्होंने भू-वापसी की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किये हैं।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से गैर आदिवासी को किस परिस्थिति में किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा नियमसंगत है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा-चिकोर, थाना नं०-52 थाना-पतरातू के खाता नं०-16 प्लॉट सं०-286 कुल रकबा-0.13 ए० भूमि सर्वे खतियान में चेतलाल महतो कौम बेदिया के नाम से दर्ज है एवं जमाबंदी भी पंजी-II के पृष्ठ सं०-37/I पर लहसन महतो पिता-चेतलाल महतो के नाम से कायम है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट करने में विफल है कि किस परिस्थिति में आदिवासी खाते की भूमि हस्तांतरण गैर आदिवासी को किया गया एवं यह हस्तांतरण किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से हुआ। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें 1945 में प्राप्त है। जबकि अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन के अनुसार बेदखली की अवधि 8-10 वर्ष ही है। इससे विरोधाभाष उत्पन्न होता है। अपीलार्थी का कहना है कि पूर्व में भी भू-वापसी वाद संख्या-445/86 दायर हुआ था, जिसमें वाद को कालबाधित मानते हुए आवेदन अस्वीकृत किया गया था। अर्थात् 1986 में ही बेदखली की अवधि 40 वर्ष मानी गई है। फिर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा बेदखली की अवधि 08-10 वर्ष माना जाना विरोधाभाष उत्पन्न होता है। इसलिए उक्त वाद में उपरोक्त बिन्दु पर पुनः जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-04/2019-20/111/2020-21 सुरेन्द्र बेदिया बनाम अदेश्वर सिंह में दिनांक-27.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर पुनः सुनवाई कर Fresh आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
उपायुक्त, 6/01/24
रामगढ़।

Chanday
16/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।